Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–34/2015
शीतल प्रसाद यादव पे0–स्व0 तीर्थ नारायण सिंह, साकिन–मलयपुर, थाना–बरहट, जिला–जमुई। – आवेदक

बनाम

29/6/18

विदेशी यादव, पुत्र टोटा यादव — विपक्षी प्रथम
नागो यादव, पुत्र टोटा यादव — विपक्षी द्वितीय
त्रिवेणी यादव, पुत्र टोटा यादव — विपक्षी तृतीय
भैरव यादव पे0–देवी यादव — विपक्षी चतुर्थ
बोरहन यादव, पे0–बिठल यादव — विपक्षी पंचम
भातु यादव, पे0–होरिल यादव — विपक्षी षष्टम
चन्द्रिका यादव, पे0–धनेश्वर यादव — विपक्षी सप्तम
प्रसाद यादव, पे0–बुधन यादव — विपक्षी अष्टम
सुकदेव यादव, पे0–टिकन यादव — विपक्षी नवम्
भोला रावत, पे0–बन्धु रावत — विपक्षी दशम्
अर्जुन रावत, पे0–बन्धु रावत — विपक्षी ग्यारवी
अहिल्या देवी, पे0–सुबोध नारायण सिंह — विपक्षी बारहवीं
सभी साकिन–तेनगरहा, थाना–बरहट, जिला–जमुई।
उमा देवी पत्नी जनार्धन सिंह,
साकिन–बनहरा खड़कपुर, जिला–मुंगेर। — विपक्षी तेरहवीं

अंचल अधिकारी, बरहट के पत्रांक–449 दिनांक–08.05.2015 के आलोक में यह जमाबन्दी रद्दीकरण वाद दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 (1) अन्तर्गत आरंभ की गई। Title Suit No. 08/1988 सब जज–2 जमुई के आदेश दिनांक–19.12.1997 तथा STA–15/98, Court of IX th Additional session Judge मुंगेर के आदेश के आलोक में आवेदक के अनुरोध पर अंचल अधिकारी, बरहट के द्वारा जमाबन्दी रद्दीकरण वाद संख्या–01/2013–14 आरंभ की गई। सभी पक्षकारों को संसूचित करते हुये अंचल अधिकारी, बरहट ने मौजा–बरहट, खाता संख्या–61, खेसरा सं0–373, 491 एवं 735 से संबंधित, उमा देवी जौ0–जनार्दन प्रसाद सिंह के नाम चल रहे जमाबन्दी सं0–1665 एवं उमा देवी के वारिशानों के द्वारा प्रश्नगत खेसरा के बिक्री कर देने के कारण सृजित विभिन्न जमाबन्दीयों को रद्द करने का अनुशंसा किया है।

A Home Jud

वाद में निहित भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल	मौजा थाना	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा एकड़ में	जमाबन्दी सं0	जमाबन्दी रैयत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बरहट	मलयपुर/12	61	491	0.66	1868	विदेशी यादव
2			61	491	0.66	1869	भैरव यादव
3			61	491	0.66	1870	बोढ़न यादव
4			61	491	0.62	1871	भातु यादव
5			61	491	0.66	1872	चन्द्रिका यादव
6			61	491	0.66	1873	प्रसादी यादव
7			61	491	0.95	1874	सुखदेव यादव व रघुनाथ व विशेश्वर
8			61	735	0.22	1879	भोला रावत
9			61	735	0.21	1880	अर्जुन यादव व सहदेव यादव
10			61	373	1.03	1909	अहिल्या देवी
11			61	491 735	0.10 0.72	1665	उमा देवी जौ0 जनार्धन सिंह

समीक्षोंपरान्त वाद को अंगीकृत किया गया। सभी पक्षों को नोटिस निर्गत की गई। पंजीकृत डाक से एवं कई वार अंचल के माध्यम से नोटिस दी गई। दिनांक–23.07.2016 को विपक्षी विदेशी यादव न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव देने हेतु समय की मॉग किये। मगर उनके द्वारा जवाव दाखिल नहीं की गई। विपक्षीगण लगातार अनुपस्थित रहे। प्रतीत होता है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उनके द्वारा किसी अन्य सक्षम प्राधिकार का कोई आदेश या अन्य कोई साक्ष्य/दस्तावेज अपने दावा के पक्ष में कहने को कुछ नहीं है। वाद को आगे बढ़ाना युक्ति–युक्त प्रतीत नहीं होता है। अतएव विपक्षीगण को जवाव दाखिल करने से वंचित करते हुये वाद को एक पक्षीय सुना गया।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उनकी रैयती भूमि है। खतियानी रैयत चेतलाल सिंह के तीन पत्र थे। वैजनाथ सिंह, जय प्रकाश एवं तारणी सिंह। जयप्रकाश नावल्द मर गए। तत्पश्चात् चेतलाल की सम्पूर्ण भूमि वैजनाथ सिंह एवं तारणी सिंह को प्राप्त हुये। Hindu Succession act 1956 के अस्तित्व में आने के पूर्व वैजनाथ सिंह अपनी एक मात्र पुत्री उमा देवी को छोड़कर वर्ष 1950 में मर गए। चुँकि यह पैतृक सम्पति थी, इस प्रकार चेतलाल सिंह की समस्त सम्पति आवेदक के पिता तीर्थ नारायण सिंह को प्राप्त हो गई।

आवेदक के अनुसार उनके पिता तीर्थ नारायण सिंह का अपनी–पत्नी तथा आवेदक (शीला सिंह) से संबंध अच्छे नहीं थे। इस कारण इन्हें सम्पति से वंचित करने हेतु दिनांक–05.03.1975 को बिना अपने पुत्र और शीतल सिंह के सहमति से पंजीकृत बॅटवारा कर लिया। यह बॅटवारा भी सही तरके से नहीं था। तीर्थ प्रसाद सिंह को 4. $27\frac{1}{2}$ एकड़ तथा उमा देवी को 7.59 एकड़ भूमि दी गई। उमा देवी के पिता वैजनाथ सिंह की मृत्यु 1950 के तिथि को Hindu Succession act 1956 के प्रभावी नहीं होने, बरावरी बॅटवारा नहीं रहने के कारण आवेदक दिनांक–05.03.1975 के पंजीकृत

A Home Jud

बँटवारा को रद्द करने हेतु T/S- 8/1988 सब जज–2 जमुई में लाये। उनके पक्ष में फैसला हुआ। विपक्षीगण इस निर्णय के विरूद्ध STA-15/98 Court of IX th Additional Sessions Judge, Munger के यहाँ वाद दायर किये मगर वह भी वर्ष 2000 में खारिज हो गया।

आवेदक के अनुसार दिनांक–05.03.1975 बँटवारा दस्तावेज के आधार पर उमा देवी के नाम जमाबन्दी संख्या–1665 कायम हो गया था। उमा देवी के मृत्यु के पश्चात् उनके वारिशानों के द्वारा विभिन्न लोगों को "वाद " में निहित भूमि को विभिन्न केवाला से बिक्री कर दिया गया। तद्नुसार विपक्षीगण के नाम जमाबन्दी 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1879, 1880, 1909, कायम हो गई। उमा देवी के नाम कायम जमाबन्दी 1665 में ही 82 डी0 भूमि अस्तित्व में है।

आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उक्त जमाबन्दी को रद्द करने का अनुरोध किया है।

आवेदक द्वारा दाखिल T/S–8/1988 का आदेश, STA 15/98 का आदेश एवं अंचल अधिकारी, बरहट का अनुशंसा के आलोक में, आवेदक जमाबन्दी रद्दीकरण के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, बरहट को निदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित जमाबन्दी को रद्द (विलोपित) करे। तद्नुसार जमाबन्दी में निहित रकवा आवेदक के नाम कायम जमाबन्दी में हस्तांतरित करें। अगर आवेदक के नाम पूर्व से जमाबन्दी कायम नहीं है, तो T/S–8/1988 के आदेश के आलोक में दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधान के अनुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, बरहट को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 731 /रा0, दिनांक– 30.6.2018

प्रतिलिपि–विपक्षी/अंचल अधिकारी, बरहट/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

D.I.O

3